कोडरमा   6th Months

BROOMEES

दिनांक- 7/7/25

BROOMEES INDIA PRIVATE LIMITED
Laxmi Narayan Complex,
Itki Road, Ranchi, India
www.broomees.com
963-963-1069

HK

सेवा अनुबंध – झारखण्ड सहायक

6200401447. - पापा - Lakhman Bhagat

सहायक का नाम - MONIKA Bhagat	सहायक का कॉन्टैक्ट नंबर 1 9835945839. 2 9931520889 - माँ - सोनामणि भगत
सहायक का पता - D/O लक्ष्मण भगत, बुड़कु बरांग्पुर, पोस्ट - हिरही थाना लोहरदगा, बरांग्पुर, लोहरदगा Jh - 855302.	सहायक का ID no. 4932 - 0058 - 5021.

तुरी देव भगत - भाई

Broomees India Pvt.Ltd. के क्लाइंट के घर में काम करने हेतु सहायक द्वारा निम्नलिखित बातो पर सहमती व्यक्त की गई है।

1) कि सहायक को M/s Broomees द्वारा प्रशिक्षण मिला है तथा वह M/s Broomees के सभी शिष्टाचार एवं सेवा दिशानिर्देशों का पालन करेगा।
2) सहायक के लिए रहने की व्यवस्था क्लाइंट द्वारा की जाएगी। हालांकि, यदि निजी कमरा उपलब्ध नहीं है, तो सहायक को क्लाइंट के निवास में आम कमरों में रहना होगा।
3) सहायक को गद्दा, तकिया एवं चादर सहित मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं क्लाइंट द्वारा प्रदान की जाएंगी।
4) सहायक दिन में 3 बार मुफ़्त भोजन का हकदार होगा जो सहायक द्वारा ही तैयार किया जाएगा।
5) उपलब्धता अवधि 18 घंटे की होगी जो सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक होगी। हालांकि, जब तक कि पूर्व आपसी सहमति से तय न किया गया हो, काम के घंटे 9 घंटो तक सीमित रहेंगे।
6) सहायक के मासिक वेतन का भुगतान M/s Broomees द्वारा हर महीने की 7 तारीख को उस कार्य के लिए किया जाएगा जो सहायक ने पिछले महीने के अंतिम दिन तक किया है। पिछले महीने के दौरान ली गई छुट्टियों के भुगतान की कटौती मासिक भुगतान में से की जाएगी।
7) सहायक को हर उस वस्तु/उपकरण के साथ काम करने से पहले क्लाइंट की अनुमति लेनी होगी, जिसके उपयोग का तरीका सहायक नहीं जानता।
8) पूर्व अनुभव, कौशल, प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञता के आधार पर खाना पकाने/ हाउसकीपिंग/बेबीसिटिंग की भूमिका या तो एकल या संयोजन में सहायक को सौंपी जाएगी।

9) अनुबंध अवधि के दौरान, शादी, बच्चे की परीक्षा, त्योहार, कानूनी विवाद सहित किसी अन्य पूर्व नियोजित कार्यक्रमों के मामलो में लगातार 2 दिनों से अधिक छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी।

10) सहायक साथी कर्मचारियों/क्लाइंट के साथ वेतन के बारे में चर्चा/खुलासा नहीं कर सकता।

11) सहायक को क्लाइंट से एडवांस सैलरी मांगने का कोई अधिकार नहीं है।

12) यदि सहायक को दिल्ली मुख्यालय में आने के 7 दिनों के बाद भी अपनी अकुशलता के कारन नौकरी नहीं मिलती, तो जब तक सहायक नौकरी पर नहीं लग जाता/जाती, सहायक को M/s Broomees द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के बदले में M/s Broomees द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों को पूरा करना होगा। सहायक इस दौरान किसी भी कार्य के लिए किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ का हकदार नहीं होगा।

13) शारीरिक एवं मौखिक दुर्व्यवहार जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, किसी और वजह से, 7 कार्य दिवसों के पूरा होने से पहले क्लाइंट बदलने की किसी भी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।

14) यदि सहायक ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी किसी भी अनुचित या आपराधिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो उसे तुरंत उसके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बकाया वेतन का उपयोग M/s Broomees या क्लाइंट द्वारा उठाए गए नुकसान की भरपाई के लिए होगा।

15) यदि क्लाइंट सहायक की सेवा से संतुष्ट नहीं है, तो M/s Broomees के पास बिना किसी पूर्व सूचना के सहायक को बदलने के सभी अधिकार है। हालांकि M/s Broomees सहायक को रोजगार का एक और अवसर तभी प्रदान कर सकती है जब सहायक रोजगार योग्य हो।

16) M/s Broomees के पास सहायक के पिछले नियोक्ता से जाँच पड़ताल करने और क्लाइंट के स्थान पर नियुक्ति से पहले सहायक का पुलिस सत्यापन करने के सभी अधिकार है।

17) यदि सहायक द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सत्यापन दस्तावेज जाली पाया जाता है, तो M/s Broomees को सहायक के प्रति कानूनी कार्रवाई करने हेतु तथा सहायक द्वारा Rs. 5000/- का अतिरिक्त जुर्माना वसूल करने हेतु सभी अधिकार हैं।

18) जब तक कोई आपातकालीन स्थिति उत्पंन न हो, तब तक सहायक को अपनी अनुबंध अवधि के दौरान अपने कार्यक्षेत्र अनुसार सभी कर्तव्यों का पालन करना होगा। यदि सहायक अनुबंध अवधि के दौरान काम करने से इनकार करता है तथा कंपनी के अन्य रोजगार प्रस्तावों से भी इनकार करता है, तो M/s Broomees को सहायक के 7 दिनों के वेतन को जब्त करने का अधिकार प्राप्त है।

19) यदि कोई भी सहायक प्रशिक्षण एवं नौकरी की पुष्टि के बाद अंतिम समय में पीछे हट जाता है, कर्तव्यों से इनकार करता है या फरार हो जाता है, तो उसे M/s Broomees कि बहिष्कार सूची में डाल दिया जाएगा एवं उसका प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा।

20) सहायक को हर महीने 2 छुट्टियों का अधिकार है, अगर सहायक किसी कारणवश छुट्टिया नहीं ले पता, तब उन छुट्टियों की तनख्वा का बकाया सहायक सीधे क्लाइंट से नकद में वसूल करेगा।

21) M/s Broomees सहायक के आवागमन के दौरान और नौकरी के दौरान हुई किसी भी हानि/क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

22) सहायक स्वयं इच्छा अनुसार मात्र ₹116 प्रति माह शुल्क पर M/s Broomees से ₹2 lakh तक का स्वास्थ बिमा ले सकता है।

23) यदि सहायक किसी कारणवश अपनी अनुबंध अवधि .....6th.......... (6/9/12) महीने का कार्यकाल पूरा नहीं करना चाहता है, तो सहायक M/s Broomees को Rs. 5000/- का मुआवज़ा देकर अनुबंध खत्म कर सकता है। इस मुआवजे का इस्तेमाल सहायक को ट्रेनिंग देने में हुए खर्च की वसूली के लिए किया जाएगा।

कार्यकर्ता का नाम: - Monika Bhagat

MONIKA BHAGAT

कार्यकर्ता हस्ताक्षर

Vijeta Sahu

अधिकारी

BROOMEES INDIA PVT. LTD. RANCHI

BROOMEES INDIA PVT. LTD. RANCHI